

श्री.....

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

अतः प्राप्त प्र. पत्र के आधार पर अति. सं. 10 व 16 का नाम पत्रावली से डिलीट किए जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। वकील वारी पत्रावली में संशोधित अनवान पेश करें। पत्रावली दिनांक 8/1/2026 को पेश है।




No 21



08/01/26

पत्रावली पेश हुई। वकील वारी द्वारा आदेशिका पर No instruction अंकित किया है। वारी अधिवक्ता के वारी गण सम्पर्क में नहीं है। प्रकरण में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रकरण वही स्तर पर ड्रैप किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

पत्रावली फंसल शुमार होकर दायित्व दफ्तर है।


उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला-भीलवाड़ा